बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः—........................../
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)–02/2015

पटना, दिनांक..........................

प्रेषकः

एस० सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना ।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

विषयः— **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत कार्यरत एवं नयी औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक नीति के प्रभावी तिथि से ए०एम०जी०/एम०एम०जी० के तहत विद्युत संबंधी छूट/प्रतिपूर्त्ति तथा विधुत शुल्क की प्रतिपूर्ती के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल ₹8950.14 लाख (नवासी करोड़ पचास लाख चौदह हजार) मात्र सब्सिडी राशि की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः— स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या–2421, दिनांक 18.06.15 के क्रम में कहना है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अन्तर्गत घोषित रियायते एवं देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु यथा कार्यरत एवं नई औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक नीति के प्रभावी तिथि से ए०एम०जी०/एम०एम०जी० के तहत विद्युत संबंधी छूट/प्रतिपूर्त्ति तथा विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ती के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल **₹8950.14 लाख (नवासी करोड़ पचास लाख चौदह हजार)** मात्र सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80 सामान्य, लघु शीर्ष 102 औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160 प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड P2852801020160, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5432, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से **₹6973.38 लाख (उनहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख अरतीस हजार)** मात्र एवं मुख्य शीर्ष–2852 उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 80–सामान्य, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित ज़ातियो के लिए विशेष घटक योजन, माँग संख्या 23, उपशीर्ष 0102–इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड P2852807890102, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5428, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से **₹1926.60 लाख (उनीस करोड़ छबीस लाख साठ हजार) मात्र** तथा मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 08–उपभोगता उद्योग, लघु शीर्ष 796– जनजातिय क्षेत्र उपयोजना, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0101– आर्थिक सहायता, विपत्र कोड P2852087960101, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से **₹50.16 लाख (पचास लाख सोलह हजार) मात्र** बजट उपबंध में उपलब्ध राशि से विकलित होगा जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के राज्य योजना आय–व्यय में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

3. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत कार्यरत एवं नयी औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक नीति के प्रभावी तिथि से AMG/MMG के तहत विद्युत संबंधी छूट 5 (पाँच) वर्षों के लिए एवं विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ती की सुविधा 7 (सात) वर्षो के लिए देय है।

4. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे, जो बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना से विद्युत संबंधी छूट/प्रतिपूर्त्ति हेतु उद्यमियों को दी गई वास्तविक छुट की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त दावा के विरूद्ध राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर उन्हें आर०टी०जी०एस० के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।

5. योजना के नियंत्रण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का अनुश्रवण करेगा।

6. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 वि० दिनांक–20.05.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।

क्रमशः पृष्ट–02...

7. उक्त स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय के अंतर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निकासी के लिए योजना कोड तथा विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।

8. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 28.06.2016 में मद संख्या–14 में स्वीकृति संचिका संख्या–03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015 के पृष्ट 124/टि0 पर प्राप्त हैं।

9. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की मंतव्य संचिका संख्या–03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015 के पृष्ट 128./टि0 पर दिनांक 11.07.16 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–163/OSD दिनांक 08.07.16 है।

10. वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.06.98 की कंडिका–2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि की निकासी वित्त विभागीय पंत्राक–8244 दिनांक–02.08.2010 के दिशा निदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

11. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः–7355/वि0(2), दिनांकः 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–....................../
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015
पटना, दिनांक–..............................

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–....................../
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015
पटना, दिनांक–..............................

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–....................../
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015
पटना, दिनांक–..............................

प्रतिलिपिः– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–2494/
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015
पटना, दिनांक–11.07.16

प्रतिलिपिः–आय–व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) क0 लि0,पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी–1(बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–2 (उ0नि0), उद्योग विभाग/उप उद्योग निदेशक, योजना, बिहार, पटना/प्रशाखा–3, योजना, उद्योग निदेशालय को अतिरिक्त तीन प्रतियों में/प्रशाखा–1 (सरकार) योजना शाखा को तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/7/2016
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।